संख्या- 36/2021/1271 /ई-2/तेरह-2021-309/1994

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उ. प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13जुलाई, 2021

विषयः- मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि. ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जिला शाहजहांपुर में 160 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की स्थापित की जाने वाली शीरा एवं ग्रेन आधारित आसवनी में स्थापित किये जा रहे 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से ई.एन.ए. के साथ-साथ एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-10/दो-प्रा.डी.-216/राजश्री दिनांक 31.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स राजश्री फाइन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि. ग्राम सालपुर नवदिया, कटरा, तहसील-तिलहर, जिला शाहजहांपुर को 80 कि.ली. प्रतिदिन शीरे से रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. तथा 80 कि.ली. प्रतिदिन ग्रेन से ई.एन.ए. निर्माण किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लान्ट से ई.एन.ए. निर्माण के साथ-साथ एथनाल (अब्सोल्यूट अल्कोहल) का भी निर्माण किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि फर्म द्वारा 80 कि.ली. प्रतिदिन की क्षमता में ही ई.एन.ए. और एथनाल दोनों का निर्माण किया जायेगा। इकाई द्वारा ग्रेन से ई.एन.ए. के साथ-साथ एथनॉल निर्माण किये जाने

http://sugsanadesh.up.gov.in

हेतु नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/ अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त अनुमति शासनादेश संख्याः-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26-03-2021 में प्राविधानित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के अधीन होगी।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार उ.प्र. राज्य में एथनॉल उत्पादन एवं ई.बी.पी. के अंतर्गत आपूर्ति को सुगम करने, अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अनाज से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु निर्गत गाइड लाइन में समयसमय पर परिवर्तन करती रहती है। इस निमित्त अनाज से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने के बारे में निर्धारित व्यवस्था में संशोधन हेतु उक्त स्टीयरिंग कमेटी द्वारा ही विचार कर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

http://sharanadesh.up.gov.in